संख्या-3/2015/04सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 08 जनवरी, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में श्री लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ, उ0प्र0 को प्रशिक्षण एवं कार्यालय प्रकीर्ण व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1908/सी0डी0-46-3-14- 3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 24.07.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ, उ0प्र0 को अधिष्ठान, प्रशिक्षण एवं कार्यालय प्रकीर्ण व्यय, व्यय हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार रू0 3,05,16,000.00 (रू0 तीन करोड़ पांच लाख सोलह हजार मात्र) आहरित कर निदेशक, श्री लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध कराने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0स0	प्रशिक्षण व्यय	धनराशि (लाख रू0 में)
1	प्रशिक्षण व्यय	130.00
2	कार्यालय प्रकीर्ण व्यय- (मुख्यालय भवन कर व जल कर एवं किसान भवन मेरठ भवन कर व जल कर)	142.16
3	चीनी आयुक्त कार्यालय के बहुमंजिला भवन में जलापूर्ति के लिए स्थापित पम्प हाउस को नये सिरे से बोंरिंग कराने हेतु	20.00
4	गन्ना आयुक्त अधिष्ठान के अन्तर्गत नवनिर्मित सभा कक्ष हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम (ध्वनि यंत्र) की व्यवस्था, प्रोजेक्टर एवं स्क्रीन आदि के क्रय एवं स्थापना हेतु	11.00
5	संस्थान के श्रोतशाला के रिसेप्सन की साज सज्जा हेतु	2.00
	योग	305.16

(रुपया तीन करोड़ पांच लाख सोलह हजार मात्र)

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि का व्यय शक्कर विशेष निधि के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/14, दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं संख्या-बी-2-3361/दस-2014-244/2014, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की पूर्व अनुमति से किया जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लें कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का शासनादेशों/नियमों में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से कोई अन्य व्यय वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/ निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2015 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी0एल0ए0 अथवा पोस्टआफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

6- आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के आगणन अधिशासी अभियंता से ही तैयार कराये जायें। निदेशक तात्कालिकता तथा वरीयता का निर्धारण स्वयं करेंगे तथा इस संबंध में व्यय की जा रही धनराशि की कार्ययोजना/आगणन पर नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

7- उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रू0 3,05,16,000/- (रू0 तीन करोड़ पांच लाख सोलह हजार मात्र) में से रु0-3,00,00,000/-(तीन करोड़ मात्र) को अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्ष-''2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना- 0301-उ0प्र0 गन्ना अनुसन्धान एवं विकास निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय'' के नामे एवं रु0-5,16,000/-(रुपया पाच लाख सोलह हजार को) अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्ष ''2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-03-उ0प्र0 शक्कर फैक्ट्रियां पुनः स्थापना आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

.....3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3/2015/04 (1)सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सँयोजक, उ0 प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
6- निदेशक, श्री लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।